कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर को सम्बोधित अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3378/ सत्तर–6–2010–2(497)/2010 दिनांक 30 अगस्त, 2010 की टंकित प्रति:–

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू0वि0वि0/सम्बद्धता/01–68(एक)/2009/3234, दिनांक 14.07.2010 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **स्व. ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय,देवरा कड़ीम, महाराजगंज, आजमगढ़** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी,संस्कृत, समाजशांस्त्र,प्राचीन इतिहास, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीनदिनांक 01.07.2010 से शैक्षिक सत्र 2010–2011 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है–

1. शैक्षिक सत्र 2009–2010 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2010–20111 के सम्बद्धता की पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2010 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किये जायेगें एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
1. संस्था शासनादेश संख्या– 2851/सत्तर–2–2003–16 (92)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेश का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय
ह0/–
(इन्द्रदेव पटेल)
अनुसचिव

आदेश

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या–3378/ सत्तर–6–2010–2(497)/2010 दिनांक 30 अगस्त, 2010 के प्रस्तर–1में दिये गये निर्देश के अनुपालन में **स्व. ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय, देवरा कड़ीम, महाराजगंज, आजमगढ़** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर संचालित कला संकाय में शैक्षिक सत्र 2009–10 में बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि के फलस्वरुप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में दिनांक 01.07.2010 (शैक्षिक सत्र 2010–11 से (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

ह0/–
कुलपति

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर

पत्रांक:पू.वि.वि./सम्ब./01–68(एक)/2009/ 4614 दिनांक:- 17.02.2011

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–3378/ सत्तर–6–2010–2(497)/2010 दिनांक 30 अगस्त, 2010 के प्रस्तर–1 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य, **स्व. ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय, देवरा कड़ीम, महाराजगंज, आजमगढ़** को इस आशय से प्रेषित कि (गृहविज्ञान विषय की सम्बद्धता विश्वविद्यालय परिनियम में गृहविज्ञान विषय के कला संकाय के अन्तर्गत यथा–स्थान समाहित होकर महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रख्यापित किये जाने के अधीन किया जा रहा है।) उपरोक्त विषयों में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
3. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

17/2/11
कुलसचिव

फोटोकापी प्रमाणित

Scanned by CamScanner

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के सम्बद्धता सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या–पू.वि.वि. /सम्बद्धता/01–(एक)/2017/2580, दिनांक–04.09.2017 की टंकित प्रतिः–

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है. के क्रम में स्व ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं मनोविज्ञान में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016–17 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक– 01.07.2017 से शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने, महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न होने, विज्ञान संकाय के प्रवक्ताओं के अनुमोदन के अधीन तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के पूर्ण होने पर सत्र 2017–18 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक–01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किये जायेगें।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/ 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(एक)/2017/2580, दिनांक–04.10.2017 के प्रस्तर–1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन मे स्व ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं मनोविज्ञान में शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि, वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 की सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

AISHE के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रतिवर्ष करायें।

ह0/–
प्रो.(राजाराम यादव)
कुलपति

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(एक)/2017/5834 दिनांक 28.3.18

प्रतिलिपि :–

1. सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. सम्बन्धित पत्रावली।
6. प्रबन्धक, स्व ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयों में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
7. सहायक/उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव
28/03/18

Scanned by CamScanner

-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01--(एक)/2020/ 940
दिनांक : 24/7/20

सेवा में,
प्रबन्धक,
स्व0 ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय,
देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के. क्रम में **स्व0 ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय, देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़** को **स्नातक** स्तर पर **विज्ञान** संकाय के अन्तर्गत **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित** विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक– 01.07.2020 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेशसंख्या–5267/70–2–2005–2(168)/2002टी.सी.,दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या–5125/70–2–2005–2(166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्रामूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
24/7/20
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. अधीक्षक शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक/अतिगोपनीय/परीक्षा विभाग।
6. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

-Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(एक)/2017/ 12116
दिनांक : 18.3.17

सेवा में,
प्रबन्धक,
स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
देवाराकदीम, महाराजगंज,
आजमगढ़।

विषय : महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम, महाराजगंज आजमगढ़ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में** दिनांक 01.07.2016 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2 (650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. **AISHE SURVEY** के अर्न्तगत महाविद्यालय/संस्था का पंजीकरण पूर्व की भाँति प्रतिवर्ष समयान्तर्गत कराया जाय।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. उप कुलसचिव, शैक्षणिक आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ।
6. टैक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के सम्बद्धता सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या–पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(एक)/2017/2558, दिनांक–31.08.2017 की टंकित प्रति:–

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में स्व ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016–17 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक– 01.07.2017 से शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने, महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न होने, विज्ञान संकाय के प्रवक्ताओं के अनुमोदन के अधीन तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के पूर्ण होने पर सत्र 2017–18 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक–01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किये जायेगें।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/ 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(एक)/2017/2558, दिनांक–31.08.2017 के प्रस्तर–1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन मे स्व ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत एवं भूगोल विषयों में शैक्षिक सत्र 2016–17 का परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने की पुष्टि, वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 की सामुहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

AISHE के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रतिवर्ष करायें।

ह0/–
प्रो.(राजाराम यादव)
कुलपति

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(एक)/2017/......5848 दिनांक : 20.3.18

प्रतिलिपि :–

1. सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. सम्बन्धित पत्रावली।
6. प्रबन्धक, स्व ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयों में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
7. सहायक/उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव
20/03/18

Scanned by CamScanner

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पूविवि/सम्बद्धता/01–(तीन)/2020/ 9076
दिनांक : 4-2-20

सेवा में,

प्रबन्धक
स्व0 ईशदत्त स्मारक महाविद्यालय,
रामगढ़, आजमगढ़।

विषयः–स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय मे कार्यरत प्राचार्य के संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–**31.08.2019** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक–29.01.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक–11 जनवरी, 2008 एवं 23 अगस्त 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आप द्वारा प्राप्त कराये गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में अनुमोदित/कार्यरत **महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य** का संविदा–विस्तरण उनके नाम के सम्मुख तिथि से माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में 05 वर्ष तक के लिए संविदा विस्तरण किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है। तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि **(कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रुप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण–पत्र/पी0एच0डी0 प्रमाण–पत्र सत्यापन के अधीन एवं कक्षासंचालन के अन्तर्गत किया जाता है।**

क्रमांक	प्रवक्ता का नाम	पिता/पति का नाम	प्राचार्य/प्रवक्ता	जन्म तिथि	संविदा विस्तरण
1.	डॉ0 प्रेमचन्द पाण्डेय आधार नं0–4355856766	स्व0 नकछेद पाण्डेय	प्राचार्य	08.07.1964	18.06.2019 से 05 वर्ष

भवदीय
03/02/20
कुलसचिव

Scanned by CamScanner